

क्रमांक 2312/2252/2006/1-10

भोपाल, दिनांक 7-7-06

प्रति

अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश शासन।

विषय:- कार्य विभागों के विभिन्न संभागों के भण्डारागारों में उपलब्ध अनुपयोगी एवं अतिशेष सामग्री का सदुपयोग।

2976/FUS
20-7-06

शासन के ध्यान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कार्य विभागों के विभिन्न संभागों के भण्डारागारों में लंबे समय से रखी काफी सामग्री या तो अनुपयोगी है या अतिशेष है। दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर अन्य संभागों/विभागों द्वारा उसी सामग्री को पुनः क्रय किया जाता है, जिससे व्यय की गई धनराशि का सदुपयोग नहीं हो पाता।

SE(A)

E-N-C

2. अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि विभागों के विभिन्न जिलों में स्थित भण्डारागारों से अतिशेष एवं अनुपयोगी सामग्री की जानकारी वेबसाइट पर रखी जाय तथा उसे प्रमुख अभियंता कार्यालय में संकलित किया जाये। जिलों में विभिन्न परियोजनाओं हेतु आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध सामग्री की जानकारी के आधार पर प्रमुख अभियंता कार्यालय से क्रय हेतु अनापत्ति प्राप्त होने पर, जो उनके द्वारा अन्य विभागों सहित संकलित सूची में सामग्री अनुपलब्ध होने पर जारी की जावेगी, सामग्री क्रय की जाना चाहिए। यदि प्रमुख अभियंता कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त किये बिना सामग्री क्रय की जाती है तो उसे शासकीय धन का अपव्यय मानते हुए क्रयकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

20/7/06

EB(C)

अन शासन

4
22/7

3/-

अतः निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कार्यवाही सुनिश्चित कराये तथा की गई कार्यवाही में अक्षमता करने का कष्ट करें। अनुपयोगी सामग्री को अपलेखन कराकर निष्प्रमाणुसार निराकरण दराने की भी कार्यवाही डोना सुनिश्चित करें।

डी. एस. राय
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ० क्रमांक 6384/कय-101(2)/प्र०अ०/लोस्वायांवि०/ भोपाल, दिनांक 25/7/06

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग परिक्षेत्र - भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं वि./या. भोपाल
2. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल/परियोजना मंडल मध्य प्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड/परियोजना खंड मध्य प्रदेश।

परिक्षेत्र स्तर से जिलेवार जानकारी टाईप कराकर एवं सी.डी. के साथ 15 दिनों में इस कार्यालय को भेजे। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियंता